भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3534

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के वितरण को सुदृढ़ करना

3534. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों की ऊंची कीमतों, जानबूझकर की गई कमी और जबरन कालाबाजारी के मामलों ने विशेषकर असम में लघु और सीमांत किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, जिला प्राधिकारियों, कृषि विभाग और उर्वरक इकाइयों के समन्वय से किसानों को उर्वरकों की निरंतर और समतापूर्ण उपलब्धता और वितरण को सुदृढ़ करने और निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का अत्यधिक मूल्य निर्धारण, जमाखोरी और कालाबाजारी के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) अवैध संचलन, जमाखोरी, कालाबाजारी और अत्यधिक मूल्य निर्धारण की जांच के लिए किए गए निरीक्षणों, छापों और प्रवर्तन अभियानों की असम और बिहार के दरभंगा जिले सहित राज्य/जिला-वार संख्या कितनी है;

(ड.) घटिया उर्वरकों की आपूर्ति का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(च) उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध लाइसेंस के निलंबन या रद्दीकरण, लगाए गए जुर्माने और आरंभ किए गए अभियोगों सहित की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): देश में सभी उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) जिला स्तर पर राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए यह उल्लेख किया जाता है कि रबी 2025-26 के मौजूदा मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरकों और विपथन के मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। देश में, 01.04.2025 से 06.03.2026 तक, 4,60,840 छापे मारे गए हैं, जिनमें 16,160 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 6,782 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और चूककर्ताओं के विरुद्ध 817 एफआईआर दर्ज की गई हैं। चूककर्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को सख्ती से लागू करने के लिए डीएएण्डएफडब्ल्यू राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से प्रयास करता है। इसके अलावा, डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा सूचित किया गया है कि अगस्त, 2025 के महीने में ग्राम स्तर, उप-मंडल (तालुका/तहसील) और जिला स्तर पर गठित समितियों के साथ एक व्यापक बहुस्तरीय तंत्र अर्थात् धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया गया था। कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में धरती माता बचाओ निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, उप-मंडल स्तरीय समिति की अध्यक्षता उप-मंडल मजिस्ट्रेट और जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। समिति को पंचायत में व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को उर्वरकों की अत्यधिक बिक्री की निगरानी करना होता है, इसके कारण का पता लगाना है और गैर-कृषि उपयोग/सीमा पार तस्करी के लिए विपथन के मामले में जिला और उप-मंडल अधिकारियों को सूचित करना होता है। इस तरह का निगरानी तंत्र, जो उर्वरकों के किसी भी अवैध विपथन के साथ-साथ बनावटी अथवा नकली उर्वरकों के उत्पादन/वितरण पर नज़र रखेगा। देश भर में अब तक 1,71,150 ग्राम स्तरीय पंचायत समितियों, 2,286 उप-मंडल स्तरीय समितियों और 467 जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। दिनांक 01.04.2025 से 06.03.2026 की अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किए गए प्रवर्तन क्रियाकलापों का राज्य-वार विवरण, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है,

अनुलग्नक में दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह सूचित किया जाता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार, सीपी-ग्राम्स पोर्टल जो उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, के माध्यम से उर्वरक विभाग में अधिक मूल्य निर्धारण, जमाखोरी, कालाबाजारी और अन्य कदाचारों की 405 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को एफसीओ-1985 के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया था।

इसके अलावा, असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में उर्वरकों की उच्च कीमतों और कृत्रिम कमी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

बिहार के दरभंगा जिले में की गई प्रवर्तन गतिविधियों के विवरण के संबंध में, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खरीफ 2026 और रबी 2025-26 मौसम के दौरान उर्वरकों का अवैध संचलन, इनकी जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक मूल्य-निर्धारण जांच के लिए किए गए निरीक्षणों, छापों और प्रवर्तन अभियानों की संख्या में 530 निरीक्षण, 03 एफआईआर, 15 लाइसेंस रद्द करना, 11 कारण बताओ नोटिस जारी करना और 17 लाइसेंस निलंबन शामिल हैं।

इसके आलावा, यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, किसानों को यूरिया की आपूर्ति सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर कराई जाती है। यूरिया की 45 किग्रा. बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों और यथालागू करों को छोडकर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और कंपनियां उचित स्तर पर अपने कारोबार में उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान इनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के उर्वरकों की पर्याप्त उपलबधता सुनिश्चित कराने के लिए, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन विनिर्देशों को पूरा न करने वाले किसी भी उर्वरक को देश में कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन पर सख्ती से रोक लगाई गई है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। घटिया/नकली/मिलावटी उर्वरकों की कोई भी बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है। राज्य सरकारें प्रवर्तन एजेंसियां हैं और एफसीओ के उपबंधों को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिप्राप्त हैं।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 13.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3534 के उत्तर के भाग (क) से (च) से संबंधित है।

01.04.2025 से 06.03.2026 तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई																	
		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण के साथ दोषसिद्ध*	कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर		जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
आंध्र प्रदेश	23898	80	10	9	207	11	19	380	0	0	19	4	12	शून्य	686	25	40
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
असम	5284	12	6	1	59	0	0	46	1	0	27	0	0	शून्य	144	7	1
बिहार	24751	1283	845	122	7	0	0	6	0	0	0	0	0	शून्य	1296	845	122
छत्तीसगढ़	7118	297	13	4	29	1	0	145	5	0	24	0	0	शून्य	495	19	4
दादर और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
दिल्ली	395	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	शून्य	3	3	1
गोवा	619	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	शून्य	602	181	6
गुजरात	17933	56	3	1	25	0	0	146	2	0	19	4	13	शून्य	246	9	14
हरियाणा	5181	68	16	10	25	21	5	51	12	6	14	6	6	शून्य	158	55	27
हिमाचल प्रदेश	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	5613	154	46	2	36	3	0	73	2	0	8	0	0	शून्य	271	51	2
झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	शून्य	92	25	11
कर्नाटक	9709	368	25	1	243	5	0	258	14	2	96	6	11	शून्य	965	50	14
केरल	1735	0	0	0	0	0	0	53	0	0	4	0	4	शून्य	57	0	4
मध्य प्रदेश	6207	0	0	93	0	0	0	759	44	4	748	160	15	शून्य	1507	204	112
महाराष्ट्र	50288	16	0	16	0	0	0	1906	1404	46	1	73	2	शून्य	1923	1477	64
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	शून्य	1	0	0
मेघालय	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
मिजोरम	39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	शून्य	8	0	0
नागालैंड	81	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	शून्य	117	64	15
ओडिशा	8149	4	3	2	0	0	0	55	1	1	2204	112	4	शून्य	2263	116	7
पुडुचेरी	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
पंजाब	6844	37	1	1	20	0	1	330	103	4	5	0	6	शून्य	392	104	12
राजस्थान	12004	652	118	48	74	41	34	519	1	2	27	22	27	शून्य	1272	182	111
तमिलनाडु	22392	14	0	8	6	8	0	33	25	0	112	17	1	शून्य	165	50	9
तेलंगाना	145170	7	11	3	4	2	0	139	0	0	4	0	5	शून्य	154	13	8
त्रिपुरा	865	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	9	0	0
उत्तर प्रदेश	45387	2562	2981	185	164	139	13	171	175	20	88	7	15	3	2985	3302	233
उत्तराखंड	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	शून्य	43	0	0
पश्चिम बंगाल	58993	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	शून्य	306	0	0
कुल	460840	6229	4278	538	950	235	72	5514	1790	85	3467	479	122	**3**	16160	6782	817